# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 96 सन 2019
अनवान :–

1. सीमादेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पत्नी सुरतसिह जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादीयान**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश 2 राजेन्द्र 3. हरिसिह पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 ,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
**निर्णय दिनांक :–** 31/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4.8050हैक्टयर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त दोनो खातों की भूमि चिपते हुए है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530हैक व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र ने 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.253हैक भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक व वादीयासंख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के 0.253हैक प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन वादीयान व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि उनके नाम से दर्ज नही है इसलिये वादीयान जरिये बाहमी बटवारा मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है

वादीयान ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी 0.2530हैक व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी 0.3035हैक भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.2530हैक प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82

के कुल 15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश के 0.2530हैक प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्रके 0.05059 हैक हिस्सा में से व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.2530हैक भूमि व वादीया संख्या 2 की 0.3035हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की बाहमी बटवारा वादी के वाद के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की राजस्व रिकार्ड की हद तक वादी का वाद स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार करते हुए वादी के वाद को खारिज किया जाना अंकित किया गया। जबाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4.8050हैक्टयर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त दोनो खातों की भूमि चिपते हुए है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530हैक व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र ने 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.253हैक भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक व वादीयासंख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के 0.253हैक प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन वादीयान व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं है इसलिये वादीयान जरिये बाहमी बटवारा मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है

वादीयान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया की उनके द्वारा जरिये रजिस्टर बैयनामा भूमि खरीद की गई थी सहवन से बैयनामाा में खसरा नम्बर गलत अंकित हो गया था कब्जा काश्त में अलग भूमि है इसलिये बाहमी बटवारा के जरिये कब्जा काश्त की भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4.8050हैक्टयर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीयान का कथन है उनका प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि में से वादीया न0 1 की 0.253हैक भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035हैक भूमि कब्जा काश्त में है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का वादीयान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के

0.253हैक प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है जो बाहमी बटवारा के अनुसार कब्जा काश्त में है।

वादीयान एवं प्रतिवादीगण दोनो सयुक्त खातेदार काश्तकार होने की स्थिति में अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान अलग अलग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा सकते थी किन्तु वर्तमान में वादीयान बतौर खातेदार अलग खाता में दर्ज एवं प्रतिवादीगण बतौर खातेदार अलग खाता में दर्ज है अर्थात सयुक्त खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज नही है अर्थात खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी नही है।

वादीयान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया की उनके द्वारा जरिये रजिस्टर बैयनामा भूमि खरीद की गई थी सहवन से बैयनामाा में खसरा नम्बर गलत अंकित हो गया था कब्जा काश्त में अलग भूमि है इसलिये बाहमी बटवारा के जरिये कब्जा काश्त की भूमि अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है।

वादीयान ने जिस भूमि का बेयनामा करवाया गया है उसी भूमि को पाने की अधिकारी है बेयनामा के अनुसार ही भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी प्रकार की गलती नही है यदि बेयनामा में किसी प्रकार की गलती हुई है तो वह सक्षम कार्यालय से ही नियमानुसार कार्यवाही की जाकर संशोधन करवा पाने की अधिकारी है काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की धोषणा करवाने का अधिकारी नही है।

वादीयान के द्वारा अपने नाम से दर्ज भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज भूमि से बदलना चाहते है अर्थात कब्जा काश्त/बाहमी बटवारा का कथन कर वादीयान एवं प्रतिवादीगण भूमि का तबादला करवाना चाहते है जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 88 , 89 के तहत करवा पाने के अधिकारी नही है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि का तबादला अन्य खातेदार से करना चाहता है उसके लिये नियम/कानुन बने हुए है उन्ही नियमों के तहत सक्षम न्यायालय/कार्यालय में नियमानुसार करवा पाने का अधिकारी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 ,89 के तहत हकों की धोषणा की जा सकती है भूमि का तबादला करना हकों की धोषणा करवाने की श्रेणी में नही आता है साथ ही धोषणा के वाद में तबादला करने से राजस्व हानी होनी भी सम्भव है जो राज्यहितों के मध्यनजर उचित नही है ना ही वादीयान क्लीन हैण्ड से न्यायालय में आये है क्योकि बाहमी बटवारा का कथन कर भूमि का तबादला करवाना चाहते है।

अतः वाद वादीयान साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. सीमादेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पत्नी सुरतसिह जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

**वादीयान**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश 2 राजेन्द्र 3. हरिसिह पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 96 सन 2019 निर्णय दिनांक– 31/12/19**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयान एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने के कारण वाद वादीयान खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )